रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 2014/माघ 23, 1935
No. 61] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2014/MAGHA 23, 1935

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2013

सा.का.नि. 84(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए और ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल और जल प्रदाय विभाग, सलाहकार (समूह 'क') भर्ती नियम, 2007 को जहाँ तक इसका संबंध सहायक सलाहकार (लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में सहायक सलाहकार (लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, सहायक सलाहकार (लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी) समूह ''क'' पद भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाषन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अन्य अर्हताएं.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**—वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवष्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्ष करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेष द्वारा षिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेषों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विषेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान।**	**चयन पद है अथवा अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा।**
1	2	3	4	5	6
सहायक सलाहकार (लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी)	4* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड–3 15600–39100 रुपए + ग्रेड वेतन 6600 रुपए	लागू नहीं होता।	चालीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेषों या आदेषों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक षिथिल की जा सकती है)। **टिप्पणः**–आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेष, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कष्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेष के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**
7	8	9
(1) किसी मान्यताप्राप्त विष्वविद्यालय से इंजीनियरी/सिविल इंजीनियरी में प्रोद्योगिकी/पर्यावरणीय इंजीनियरी/लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी में बेचलर डिग्री और (ii) सरकारी या स्वायत या अर्ध सरकारी संगठन या प्राइवेट संगठन में	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

विलवणीकरण/फ्लोराइड की मात्रा कम करने लौह तत्व दूर करने जल संचयन संबंधी अवसंचरनाओं के निर्माण के साथ ही षहरी या ग्रामीण सेक्टर में एक वर्ष के अनुभव सहित अन्वेषण या डिजाइन सन्निर्माण या जल प्रदाय के प्रचालन और मल—जल संस्थापनों में एकल या संयुक्त रूप से 5 वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1**—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दषा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार षिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2**— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दषा में तब षिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		

भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	**प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**
10	11
(i) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित/आमेलन) द्वारा पचास प्रतिषत। सीधी भर्ती द्वारा पचास प्रतिषत	**टिप्पण** : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलनः— केन्द्रीय सरकार/या राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/विष्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/अर्ध सरकारी स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृष पद धारण कर रहे हैं; या (ii) जो मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड—3, 15600—39100 रुपए और ग्रेड वेतन—5400 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पष्चात् पांच वर्ष सेवा कर चुका हो; या (iii) जो मूल कॉडर या विभाग में वेतन बैंड—2, 9300—34800 रुपए और ग्रेड वेतन—4800 रुपए या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पष्चात् 6 वर्ष सेवा कर चुका हो; और (ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए विहित षैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। **टिप्पण** :—प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण** :—प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिषों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दषा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व

	पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
12	13
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:– 1. संयुक्त सचिव (जल) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय —**अध्यक्ष** 2. अपर सलाहकार (लोक स्वास्थ्य इंजीनियर) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय —**सदस्य** 3. निदेषक/उपसचिव (प्रषासन) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय —**सदस्य**	प्रत्येक अवसर पर पद पर नियुक्ति के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्ष करना आवष्यक है।

[फा. सं. ए–12012/01/2011–प्र.]

के. नारायण रेड्डी, अवर सचिव

MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2013

G.S.R. 84(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Rural Development, Department of Drinking Water Supply, Advisers (Group A) Recruitment Rules, 2007 insofar as they relate to the post of Assistant Adviser (Public Health Engineering), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Adviser (Public Health Engineering) in the Ministry of Drinking Water and Sanitation, namely :-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Drinking Water and Sanitation, Assistant Adviser (Public Health Engineering), Group 'A' Post Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—**The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc**.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, ---

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Assistant Adviser (Public Health Engineering).	4*(2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 ₹15,600-39,100/- plus grade pay of ₹ 6600	Not applicable	Not exceeding forty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9
(i) Bachelor's Degree in Engineering/ Technology in Civil Engineering/ Environmental Engineering/Public Health	Not applicable	One year for direct recruits

Engineering from a recognised University; and (ii) five years experience in isolation or collectively in investigation or design construction or operation of water supply and sewerage installations including one year experience in urban sector or rural sector with experience in desalination/ de-fluoridation/iron removal/water harvesting structures in Government or autonomous or semi-Government organisation or private organization. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made
10	11
(i) Fifty per cent by deputation (including short-term contract)/absorption); (ii) fifty per cent by direct recruitment	Deputation (including short-term contract)/ Absorption : Officers under the Central Government/State Governments/Union territories/Universities/Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government/autonomous bodies or statutory organisations : (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department ; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-3, ₹15,600-39,100 plus grade pay of ₹5400 or equivalent in the parent cadre/ Department; or (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-2, ₹9300-34800 plus grade pay of ₹4800/- or equivalent in the parent cadre/Department; and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.

	(Period of deputation (including short-term contract)/absorption including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications. **Note :** For the purpose of appointment on deputation/Absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
12	13
Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Joint Secretary (Water)—Ministry of Drinking Water and Sanitation —Chairman 2. Additional Adviser - (Public Health Engineering)— Ministry of Drinking Water and Sanitation —Member 3. Director/ Deputy Secretary (Administration) Ministry of Drinking Water and Sanitation —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.

F. No. A-12012/01/2011-Admn.]

K. NARAYANA REDDY, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054